संख्या-13/837/78-1-2013-147आई.टी./2013

प्रेषक,

जी0पी0 कमल
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन 1
2- समस्त विभागाध्यक्ष् एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश ।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ:दिनांक 09 सितम्बर, 2013

विषय:- उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 के प्रस्तर-5.2.5 "संचित विद्युत उत्पादन हेतु प्लांट और मशीने" के अन्तर्गत् पात्र इकाईयों को प्रोत्साहन ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास हेतु अनुकूल व्यवसायिक वातावरण प्रदान कर तथा नीतिगत उपायों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक आकर्षक गन्तव्य (attractive destination) के रूप में उत्तर प्रदेश की स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-968/78-1-2012-25/2012, दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 उद्घोषित की गई है । सूचना प्रौद्योगिकी नीति-5.2.5 "संचित विद्युत उत्पादन हेतु प्लांट और मशीने" के अन्तर्गत निम्नवत व्यवस्था है:-

" न्यूनतम 03 मेगावाट क्षमता वाले ऐसे संचित विद्युत उत्पादन प्लांट जिनके द्वारा मात्र सूचना प्रौद्योगिकी नगर/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/मेगा विनिवेश इकाई जोन में विद्युत वितरण किया जाता है तो इस प्रकार के संचित विद्युत उत्पादन प्लांट लगाने के इच्छुक सूचना प्रौद्यगिकी नगर/ सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/मेगा विनिवेश इकाइयों को सूचना प्रौद्योगिकी इकाई मानते हुए अध्याय-5 में उल्लिखित प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे ।"

2- अत: राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 03 मेगावाट क्षमता की संचित विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने वाली इच्छुक ऐसी इकाईयों जिनके द्वारा शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर मात्र सूचना प्रौद्योगिकी नगर/ सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/मेगा विनिवेश इकाई जोन में विद्युत वितरण किया गया जाता है तो इस प्रकार के संचित विद्युत उत्पादन प्लांट लगाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी नगर/ सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/मेगा विनिवेश इकाईयों के सूचना प्रौद्योगिकी इकाई मानते हुए उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 के अध्याय-5 में उल्लिखित प्रोत्साहन स्वीकृति किये जाने का निर्णय लिया गया है।

http://sresnadesh.up.nic.in

3- उक्त प्रोत्साहन उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 के अध्याय-5 के प्रस्तर-5.1.1 "ब्याज उपादान," प्रस्तर-5.1.3 "वैट(वाणिज्यकर)," प्रस्तर-5.2.6 "रोजगार सृजन" एवं प्रस्तर-5.2.3 "औद्योगिक विकास उपादान" में प्रावधानित प्रोत्साहन आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-577/78-1-2013-23/2013 दिनांक 05 सितम्बर, 2013, शासनादेश संख्या-851/78-1-2013-25/2013 दिनांक 09 सितम्बर, 2013 एवं शासनादेश संख्या-850/78-1-2013-28/2013 दिनांक 09 सितम्बर, 2013, में विहित प्रक्रियानुसार अनुमन्य होंगे ।

4- प्रस्तर-5.1.2 " स्टाम्प शुल्क" के संबंध में कर एवं निबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या-क0नि0-7-79/11-2012-312(98)-2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2012, प्रस्तर-5.2.1 "भूमि हेतु प्रावधान" के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-899/आठ-1-13-178 विविध/2012 दिनांक 28-05-2013, प्रस्तर-5.2.4 "निर्बाध बिजली आपूर्ति" के संबंध में ऊर्जा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-36/चौबीस-पी-3-2012 दिनांक 15 जनवरी, 2013 एवं प्रस्तर-5.2.5 "संचित विद्युत उत्पादन हेतु प्लाण्ट और मशीनें" के संदर्भ में ऊर्जा अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-2304/चौबीस-पी-3-2012 दिनांक 07 नवम्बर, 2012 में प्रावधानित व्यवस्थानुसार भी प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे ।

भवदीय,

(जी0पी0कमल)
संयुक्त सचिव

संख्या-13/837/78-1/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग ।
3. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, यूपी डेस्को गोमती नगर लखनऊ ।
5. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0 लखनऊ
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(निर्मला श्रीवास्तव)
अनु सचिव

http://shasnadesh.up.nic.in